UPSR010004352026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

जमानत आवेदन पत्र संख्या – 165/2026

नौसाद अली उम्र 78 वर्ष पुत्र शमशाद अली, निवासी लक्खीभारी, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती। --------प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य --------अभियोगी।

सत्र वाद संख्या–23/2020

मुकदमा अपराध संख्या–140/2019

धारा–138 बी विद्युत अधिनियम

थाना– गिलौला, जनपद– श्रावस्ती।

<u>निस्तारण जमानत आवेदन</u>

<u>दिनांक–11.03.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त नौसाद अली के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध बिना विद्युत बिल जमा किये पुनः केबिल जोड़कर विद्युत चोरी किये जाने के बावत् मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

3– जमानत आवेदन पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त ने यह कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न निरस्त हुआ है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी मुकदमा ने गलत तरीके से फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने समय–समय पर विद्युत बिल जमा किया परन्तु रसीद नहीं दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त एक पैर से विकलांग है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.03.11 16:46:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार होकर दिनांक 07.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत की याचना है।

4– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत विभाग) की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

5– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने का आरोप है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त आरोप से इन्कार कर रहा है। मामले में विवेचना पूर्ण हो गयी है आरोप पत्र न्यायालय पर आ गया है। आरोप पत्र आने के बाद प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायालय पर उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, जिस पर गिरफ्तार होकर प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत देने को तैयार है।

6– अतः उपर्युक्त दशा में गुणदोष पर अंतिम निष्कर्ष दिये बिना ही प्रार्थी /अभियुक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

7– प्रार्थी/अभियुक्त **नौसाद अली** का जमानत आवेदन सत्र वाद संख्या–23/2020, मुकदमा अपराध संख्या–140/2019, धारा–138 बी विद्युत अधिनियम, थाना–गिलौला, जनपद– श्रावस्ती के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु० 25,000/ रुपये–(पच्चीस हजार रुपये) का स्व बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है।

दिनांक–11.03.2026

(अमित कुमार प्रजापति)

अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।